



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,  
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER  
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.  
टेली/Tel: 022-28294756 / 28294799 फैक्स/Fax: 28291754,  
ई-मेल/E-mail : jdcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट/Web-site : www.seepz.gov.in



सं.सीपज़-सेज़/प्रशासन/एमआइएससी./520/2017-18/11418

दिनांक: 25 सितंबर, 2020

**कार्यालय आदेश सं. 191 /2020**

**विषय:- विकास आयुक्त, सीपज़ कार्यालय एवं सीपज़ प्राधिकरण की निविदा से संबंधित निविदा समिति का पुनर्गठन एवं क्रय समिति के गठन के संबंध में।**


दिनांक 04.11.2019 के पूर्ववर्ती कार्यालय आदेश संख्या 15/2019 में आंशिक आशोधन करते हुए सक्षम प्राधिकारी, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण तथा विकास आयुक्त कार्यालय, सीपज़-सेज़ द्वारा प्रकाशित निविदाओं के खोले जाने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों वाली समिति का पुनर्गठन करते हैं:-

- |    |   |   |         |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्री अनुराग अग्रवाल, उप विकास आयुक्त    | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री राम हरीश चौधरी, सहायक विकास आयुक्त | - | सदस्य   |
| 3. | श्री केशव जाधव, सहायक विकास आयुक्त      | - | सदस्य   |
| 4. | श्री राजू कुमार, सहायक विकास आयुक्त     | - | सदस्य   |

समिति सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) संबंधी प्रावधानों तथा सरकार द्वारा निर्धारित अन्य दिशा-निर्देशों की जांच करके इनका अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा संविदा दिए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। समिति के किसी सदस्य / अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संबंधित लिंक अधिकारी समिति के सदस्य / अध्यक्ष के दायित्वों का निष्पादन करेंगे।

आगे, यह समिति सीपज़-सेज़ प्राधिकरण तथा विकास आयुक्त कार्यालय, सीपज़-सेज़ के लिए आवश्यक सामग्री तथा सेवाओं का क्रय करने के लिए क्रय समिति के रूप में कार्य करेगी। समिति, क्रय के लिए जांच तथा सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) संबंधी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(चन्द्रपाल सिंह चौहान)  
संयुक्त विकास आयुक्त,  
सीपज़-सेज़

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित अधिकारियों को आउटलुक ई-मेल द्वारा
2. कार्यालय आदेश फाइल/रजिस्टर
3. विआका/संविआका



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,  
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER  
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.  
टेली/Tel: 022-28294756 / 28294799 फैक्स/Fax: 28291754,  
ई-मेल/E-mail : jdcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट/Web-site : www.seepz.gov.in



No. SEEPZ-SEZ/ADMN/Misc./520/2017-18/11418

September, 25, 2020

OFFICE ORDER No. 191 /2020

**Subject: Constitution of the Purchase Committee and re-constitution of the Tender Committee for Tenders of DC, SEEPZ Office and SEEPZ Authority -reg...**


In partial modification of the earlier Office Order no. 15/2019 dated 04.11.2019, the Competent Authority hereby re-constitutes a Committee comprising following officers for opening of tenders published by the SEEPZ SEZ Authority as well as Office of the Development Commissioner, SEEPZ SEZ:-

1. Shri Anurag Agarwal, Dy. Development Commissioner - Chairperson
2. Shri Ram Harish Chaudhary, ADC - Member
3. Shri Keshav Jadhav, ADC - Member
4. Shri Raju Kumar, ADC - Member

The Committee will examine and ensure the compliance of the GFR provision and other laid down guidelines by the Govt. and shall submit its recommendations(s) for award of contract to the Competent Authority. In absence of the any of the Member/Chairperson of the Committee, the concerned Link Officer will discharge the duties as Member/Chairperson of the Committee.

Further, the same Committee will function as Purchase Committee for the Purchase of goods and services required for SEEPZ SEZ Authority as well as Office of the Development Commissioner, SEEPZ SEZ. The Committee will examine and ensure the compliances of the applicable provisions of GFR for purchase.

This issues with the approval of the Development Commissioner of SEEPZ SEZ.

  
(C.P.S. Chauhan)  
Jt. Development Commissioner,  
SEEPZ-SEZ.

To,

1. Concerned officers through outlook E-mail.
2. Office Order File/Register
3. DCO/JDCO